

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2136  
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

2136. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

डॉ. प्रीतम कोपीनाथ राव मुंडे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय-सीमा को मौजूदा 30 जून, 2021 से अगले वर्ष मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
- (ख) योजना के तहत लाभ के लिए अनुमानित नए भर्ती किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है और योजना के तहत अब तक लाभान्वित हुए नए भर्ती किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या 15000 रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त कर रहे और 1 अक्टूबर, 2020 से पहले ईपीएफओ के किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान के साथ काम नहीं कर रहे कर्मचारी और 1 अक्टूबर, 2020 से पहले बिना कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ई.पी.एफ. सदस्य खाता संख्या वाले कर्मचारी लाभ के पात्र हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और क्या इन कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा; और
- (ङ) वैश्विक महामारी के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नौकरी छूटने और वेतन कटौती से जूझ रहे श्रमिकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 किया गया है।

(ख): एबीआरवाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा इसके माध्यम से अनुमानतः 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ देने का इरादा है। इस योजना के तहत 26.07.2021 को 91,129 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.57 लाख कर्मचारियों को 1193.18 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) एवं (घ): 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, एबीआरवाई के तहत लाभ हेतु पात्र होगा। सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

(ड): भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। “आत्म निर्भर भारत” के तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, एमएसएमई को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज आरंभ किया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 के वेतन माह हेतु मजदूरी का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री रेहड़ी पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम-स्व-निधि) योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

\*\*\*\*\*